

पत्रांक:- 14 / ए०एफ०-२५ / २०१०. १-३०

विहार सरकार
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

रेखा में,

कुलसचिव,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषय:-

बासुदेव राम किशोर चौधरी, महाविद्यालय, जितवारपुर, कुम्हिरा, मुसरीघरारी, समस्तीपुर को
स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में पारा एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2022-25 एवं
2023-26 के लिए अस्थाई संवंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक-LNMU/IC/38/22 दिनांक 13.01.2022 के
क्रम में निदेशानुसार कहना है कि विहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-21 (2) (d) के
अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या-1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196
दिनांक-14.12.2017 एवं पत्रांक-3074 दिनांक-25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने बासुदेव राम
किशोर चौधरी, महाविद्यालय, जितवारपुर, कुम्हिरा, मुसरीघरारी, समस्तीपुर को स्नातक कला, विज्ञान एवं
वाणिज्य संकायों (पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों) में विश्वविद्यालय के अनुशंसा के आलोक में संवंधन पत्र निर्गत
करने के पूर्व विश्वविद्यालय को निरीक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए शर्तों की प्रतिपूर्ति कर लिए जाने के
निदेश के साथ सत्र 2022-25 एवं 2023-26 के लिए अस्थाई संवंधन प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहनति
प्रदान की है।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वविद्यालय
ललित नारायण मिथिला
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव।



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा – 846004



ज्ञापांक C/IC/13697-13703/22

दिनांक 23/05/2022

प्रतिलिपि :-

- सचिव, बासुदेव राम किशोर चौधरी महाविद्यालय, जितवारपुर, कुम्हिरा, मुसरीघरारी, समस्तीपुर।
- अध्यक्ष, छात्र-कल्याण, ल०ना०मि०वि०, दरभंगा।
- परीक्षा नियंत्रक, ल०ना०मि०वि०, दरभंगा।
- विकास पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट, ल०ना०मि०वि०, दरभंगा।
- कुलपति के निजी सचिव/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना०मि०वि०, दरभंगा को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कुलसचिव
23/05/22

23/05/22